तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामकुमार वगै बनाम सत्यनारायण वगै. अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए मुकदमा नम्बर –157 / 2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.01.2023	पत्रावली आज पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित । अवलोकन किया गया पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही आदेश दिये गये हैं। तहसीलदार रिपोर्ट शामिल मिसल है।। बहस हेतु प्रार्थीगण वकील द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हवे निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि ग्राम कालू के खसरा नम्बर 1466 तादादी 8.04 हैक्टेयर कब्जे एवं दखल मे स्थित है। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए कोई स्वीकृत रास्ता नहीं हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1466 के पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 1469, 1470 स्थित है खसरा नम्बर 1469, 1470 की पश्चिम दिशा में चिपता हुआ कालू से किसनासर जाने वाला स्वीकृत रास्ता स्थित हैं। उक्त रास्ता से प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1469 व 1470 की दक्षिण दिशा मे से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जाकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1466 मे आवागमन करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 1469 व 1470 की दक्षिण दिशा में से रास्ते का कई वर्षो से उपयोग एवं उपभोग करते चले आ रहे हैं। लेकिन उक्त रास्ता रिकार्ड में स्वीकृत नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उक्त रास्ता का उपयोग एवं उपभोग करने में जान बूझकर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तथा हर साल वर्षा होने पर अप्रार्थी संख्या 1 उक्त रास्ते को बन्द करने की धमकी देता रहता है जबकि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने पशुधन व ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के लिए रास्ता लेने का सवैरधानिक अधिकार हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त चालू रास्ता बंद कर दिया जिसके कारण प्रार्थीगण का खेत मे जाने का रास्ता अवरूद्ध हो जाने पर ग्राम पंचायत कालू मे उक्त रास्ता खुलवाने का आवेदन किया जिसपर ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 1 को रास्ता बंद नहीं करने बाबत पाबन्द किया गया इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के रास्ते मे अवरोध पैदा करने पर उतारू रहता है जिसके कारण प्रार्थीग्ण को कई प्रकार की कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि में से रास्ता लेने के हकदार है जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः प्रार्थीगण वकील द्वारा निवेदन किया गया की प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि मौजा रोही ग्राम कालू के खसरा नम्बर 1469 व 1470 की दक्षिण दिशा की सींव पर चौडाई में 5 मीटर व लम्बाई में पश्चिम से पूर्व दिशा में जितनी प्रार्थीगण के खेत तक बनती है में गैर मुमकिन रास्ते के नाम स्वीकृति करने एवं रास्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश प्रदान करे। अप्रार्थी संख्या 2 वकील द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुवे निवेदन किया की प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य अनुसार रास्ता पूर्णतया स्वीकार हैं। अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि प्रार्थी [illegible] खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1466 से पश्चिम दिशा में खसरा न[illegible] 1140 व खसरा नम्बर 1470 में स्थित हैं। खसरा नम्बर 1470 व खसरा नम्बर 1469 के पश्चिम दिशा में रास्ता स्वीकृत हैं। उक्त रास्ता से प्रार्थीगण खसरा नम्बर 1470 व खसरा नम्बर 1469 की दक्षिण सींव से होते हुए अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1466 में कई सालों से आवागमन कर रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 2 अपनी खातेदारी भूमि में से बिना कोई प्रतिफल राशि लिये प्रार्थीग्ण को रास्ता देने हेतु सहमत हैं। उक्त रास्ता स्वीकृति पर अप्रार्थी संख्या 2 को कोई एतराज नहीं हैं। उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kumar
Date: 2023.01.27 11:12:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण वकील द्वारा प्रार्थना पत्र समर्थन में प्रमाणित नकल नक्शा संवत् 2069 ग्राम कालू खसरा नम्बर 1470,1469,1466,1140,1474 प्रमाणित नकल जमाबन्दी ग्राम कालू सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 1333, 1049 एवं प्रति जमाबन्दी ग्राम कालू संवत 2073–2076 खाता संख्या 512 पेश की गई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक कालू खसरा नम्ब्र 1466 रकबा 8.04 हैक्टेयर खसरे के कटानी रास्ता नहीं लगता हैं। इस खसरे के पश्चिम दिश में खसरा नम्बर 1469 को छोडकर कटानी रास्ता ग्राम कालू से किसनासर जाने वाला रास्ता स्थित हैं। प्रार्थीगण के अनुसार खसरा नम्बर 1469, 1470 की दक्षिणी सींव से खेत में जाते थे लेकिन वर्तमान में कोई रास्ता चालू नहीं मिला। खसरा नम्बर 1469 की तारबन्दी करके पूरा खसरा बन्द हैं। खसरा नम्बर 1469 के उत्तरी सींव से कटानी रास्ते की दूरी सबसे कम है व एक ही खातेदार सत्यनारायण जाति ब्राह्मण के नाम दर्ज हैं। खसरा नम्बर 1469 के उत्तरी सींव पर रास्ता दिया जाता है तो सबसे कम दूरी व एक ही खातेदार का खसरा हैं।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया । पत्रावली में शामिल प्रमाणित नकल नक्शा संवत् 2069 ग्राम कालू खसरा नम्बर 1470,1469,1466,1140,1474 प्रमाणित नकल जमाबन्दी ग्राम कालू सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 1333, 1049 एवं प्रति जमाबन्दी ग्राम कालू संवत 2073–2076 खाता संख्या 512 एवं तहसीलदार रिपोर्ट तथा ट्रेस नक्शा का अवलोकन किया । राज पैरोकार द्वारा रास्ता नियमानुसार स्वीकृत करने बाबत सहमति दी ।

हमने बहस का मनन किया प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबन्दी एवं दस्तावेजो से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वह सबसे नजदीक एवं काश्त हेतु सुविधाजनक प्रतीत होता हैं। अतः यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम उक्त भूमि में वांछित रास्ते की गणना कर नियमानुसार राशि सम्बन्धित को जमा करने के पश्चात अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा रोही ग्राम कालू के खसरा नम्बर 1469 व 1470 की दक्षिण दिशा की सींव पर चौडाई में 5 मीटर व लम्बाई में पश्चिम से पूर्व दिशा में जितनी प्रार्थीगण के खेत तक बनती है में गैर मुमकिन रास्ते के नाम स्वीकृति करने एवं राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.01.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार–I I)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kumar
Date: 2023.01.27 11:12:56 IST
Reason: SelfAttested